

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 04/2024-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2024

सा.का.नि. .... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धाराओं (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 9घ और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ड.	अध्याय 99	इन माध्यमों से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं- (क) प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री; (ख) रिटायरिंग रूम/प्रतीक्षालयों की सुविधा; (ग) अमानती घर सेवाएं; (घ) बैटरी चालित कार सेवाएं	शून्य	शून्य
9च	अध्याय 99	रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत किसी क्षेत्र/प्रभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रभाग(प्रभागों) को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
9छ	अध्याय 99	विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके	शून्य	शून्य";

		द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के विरुद्ध उपयोग करने की सेवाएं और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एसपीवी निर्मित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के विरुद्ध रखरखाव की सेवाएं।		
--	--	---	--	--

(ख) क्रम संख्या 12 में,-

- (i) कॉलम (2) में, शब्दों और आंकड़ों "शीर्षक 9963 या" का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में अंकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार अंकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"स्पष्टीकरण 2.- इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी -

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएं;

(ख) होस्टल्स, शिविर, पेइंग गेस्ट आवासों और इसी प्रकार के अन्य आवासों द्वारा दी जा रही आवासीय सेवाएं।";

(ग) क्रम संख्या 12 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12क	शीर्षक 9963	आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिसमें आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपए या उससे कम हो, बशर्ते की यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो।	शून्य	शून्य"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फाइल सं. CBIC-190354/94/2024-TO(TRU-II)-CBEC]



(डॉ. पुनीता बेदी)

निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2023-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।